(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 198–एक/2009 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–5–2009 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 160/2006–07 अपील

राजेन्द्र कुमार पुत्र नन्दकिशोर खंडेलवाल,
निवासी 8, योजना संख्या 14/4
विकास नगर , नीमच जिला नीमच ---अपीलांट

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन व्दारा उप पंजीयक नीमच
2– नारायणदास पुत्र लक्ष्मीनारायण बाहेती
ग्राम जीरण तहसील व जिला नीमच -- रिस्पाण्डेन्टस

(श्री के0के0द्विवेदी अभिभाषक – अपीलांट)
(रिस्पा.क.1 के पैनल अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)
(श्री एस.के.श्रीवास्तव अभिभाषक – रिस्पा.क.–2)

आ दे श

(दिनांक 08 दिसम्बर, 2015)

आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 131/2006–07 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.2007 के विरूद्ध स्टाम्प एक्ट की धारा 47–क की उपधारा 6 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कृषि उपज मण्डी नीमच स्थित भूखंड कमांक 69 बी कुल क्षेत्रफल 372.16 वर्ग मीटर जिसमें निर्मित गोदाम 103.37 वर्गमीटर एंव खुला भाग 268.79 वर्ग मीटर रिस्पा0 कमांक–2 से कय कर विकय पत्र कीमती 8,00,000/–रू. दिनांक 29–3–2005 पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, इस विकय पत्र को उप पंजीयक ने वर्ष 2004–05 की गाईड–लायन अनुसार 22,60,000/–रू.

कीमत का होना प्रस्तावित करते हुये स्टाम्प एक्ट की धारा 47(क)(1) के अंतर्गत कार्यवाही हेतु जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच को भेजा। जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच ने प्रकरण कमांक 177-बी-105-47(क)(1) /2004-05 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये । पक्षकार व्दारा बार-बार अवसर दिये जाने के वाद बचाव साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण स्थल निरीक्षण उपरांत आदेश दिनांक 20.2.2007 पारित किया गया तथा स्टाम्प तालिका 1(ए) के अनुच्छेद 22 के अनुसार रू. 3,54,328/-स्टाम्प डयूटी शासन हित में देय होने से पक्षकार व्दारा पूर्व देय स्टाम्प रू. 83,200/- कम करके 2,71,128/-रू. चालान से जमा कराने के आदेश पारित किये। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील कमांक 131/2006-07 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक24.12.2007 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील में अंकित तथ्यों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच व्दारा अपीलांट को सुनवाई का एंव साक्ष्य का अवसर न दिये जाने संबंधी दिये गये तर्क पर से जिला पंजीयक के प्रकरण कमांक 177-बी-105-47(क)(1) /2004-05 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपीलांट पेशी 17-5-2005 को जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच के समक्ष उपस्थित हुये, जिन्हें जवाव हेतु 26-5-05 की पेशी दी गई। पेशी 26-5-05, 14-6-05 को अपीलांट ने जबाव हेतु समय लिया, किन्तु पेशी 28-6-05 को अपीलांट अनुपस्थित हो गये। आगामी पेशी 28-7-05 को न्यायहित में जवाव प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया, किन्तु 23-8-05, 17-1-06, 28-2-06, 31-3-06 तक कोई उपस्थित नहीं हुआ, तब 31-3-06 को पुनः सूचना जारी करने का निर्णय लिया गया एंव आगामी पेशी 25-4-06 नियत की गई। इस

तिथि को अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित हुये और जवाव प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा। आगामी पेशी 16-5-06 को अपीलांट के अभिभाषक उपस्थित हुये किन्तु उन्होंने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जिसके कारण उन्हें अंतिम अवसर दिया गया। आगामी पेशी 6-6-06 को भी अंतिम अवसर दिया गया, इसके वाद 22-6-06 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ एंव आगामी 5 पेशियों तक अपीलांट की ओर से प्रकरण की स्थिति जानने कोई भी नहीं आया, जबकि 16-11-06 को स्थल निरीक्षण हुआ है फिर भी अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । तब जाकर दिनांक 20.2.07 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलांट को जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच ने साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया । इन्हीं कारणों से आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 131/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.07 से जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि जो संपत्ति कय की जा रही है वह री-सेल की संपत्ति होकर स्ट्रक्चर के साथ भूमि विकय है। जिस पर 20 वर्ष पुराना गोडाउन है, जिसके कारण गोडाउन के स्ट्रक्चर को रू. 8.00 लाख में कय करके भूखंड के लीज डीड की रजिस्ट्री सही तैयार करके प्रस्तुत की गई है। अपीलांट स्वयं् स्वीकार करते हैं कि कय की जा रही संपत्ति कृषि उपज मण्डी समिति नीमच की लीज होल्ड-राईटस भूमि है जिस पर गोडाउन निर्मित है अर्थात कय की जा रही संपत्ति व्यावसायिक है । जिला पंजीयक सह कलेक्टर आफ स्टाम्प नीमच ने स्थल निरीक्षण उपरांत आदेश दिनांक 20.2.2007 से स्टाम्प तालिका 1 (ए) के अनुच्छेद 22 के अनुसार रू. 3,54,328/-स्टाम्प डयूटी शासन हित में देय होने से पक्षकार व्दारा पूर्व देय स्टाम्प रू. 83,200/- कम करके 2,71,128/-रू. चालान से जमा कयाने के आदेश पारित किये, जो शासन व्दारा निर्धारित गाईड-लायन के अनुरूप

होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण क्रमांक 131/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.07 से अपील निरस्त की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 131/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 24.12.07 उचित पाये जाने यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर